न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :–137/2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/214

अपीलार्थी :–

1. अयुब खां पुत्र हकीम खां
2. ईशे खां पुत्र बरू खां फौत के कायम मुकाम–

2/1 सबीना पत्नी ईशे खां
2/2 अनवर पुत्र ईशे खां
2/3 इदे खां पुत्र ईशे खां

3. जोसफ खां पुत्र बरू खां
4. बरकत खां पुत्र हकीम खां
5. लाधु पत्नी हकीम खां
6. लाधु पत्नी मीर खां
7. शकुर खां पुत्र हकीम खां
8. मीरे खां पुत्र बरू खां फौत के कायम मुकामः–

8/1 लाधु पत्नी मीरे खां
8/2 मजीद अली पुत्र मीरे खां
8/3 बरकत अली पुत्र मीरे खां
8/4 रहमत अली पुत्र मीरे खां
8/5 दिलबर खां पुत्र मीरे खां

समस्त जातियान सिपाही मुसलमान निवासी गण सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. अकबर खां पुत्र लतीफ खां
2. अल्फा पुत्री लतीफ खां
3. करीमा पुत्री मेहरदीन खां
4. छोटू खां पुत्री मेहरदीन खां
5. तजीयो पुत्री मेहरदीन खां

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

6. नसीरो पुत्री मेहरदीन खां
7. बरकत खां पुत्र लतीफ खां
8. रहमत पुत्री लतीफ खां
9. शोभा पुत्री लतीफ खां
10. सफी खां पुत्र मेहरदीन खां
11. सुरानी पत्नी मेहरदीन खां
12. सुलेमान खां पुत्र मेहरदीन खां
13. साहिल खां पुत्र लतीफ खां
14. हुरमी पत्नी लतीफ खां

    समस्त जातियान सिपाही मुसलमान निवासी सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
15. तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1582 ग्राम सोलंकिया तला, जो दिनांक 27.12.2021 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–
1. अपीलार्थी अधिवक्ता जगदीश प्रजापत।
2. प्रत्यर्थी संख्या 01 से 14 तक नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक :–26.09.2025**

1. यह अपील राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शेरगढ द्वारा ग्राम सोलंकिया तला के नामान्तरकण संख्या 1582 पर पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 27.11.2024 को प्रस्तुत की गई है।

   प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा तहसीलदार शेरगढ से अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट डाक से भेजे गए नोटिसेज के डिलीवर होने की ट्रेक कंसाइनमेंट रिपोर्ट प्राप्त हुई, परन्तु प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हैं, अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. अपील मीमो में अंकित अभिवचनों के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोलंकिया तला में खसरा संख्या 595 रकबा 33–10 बीघा व ख.नं. 596 रकबा 78–11 बीघा भूमि– वरू खां पुत्र कमाली खां के नाम आई हुई है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 11 सुरानी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि उसके पति का नाम मेहरदीन उर्फ मुबारक खां है, जिसे दुरूस्त किया जावे, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा जारी शुद्धिकरण आदेश अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956, दिनांक 29.11.2021 की पालना में नामान्तरकण संख्या 1582 दिनांक 27.12.2021 से नाम का शुद्धिकरण किया गया है। दिनांक 29.11.2021 के आदेश के विरूद्ध धारा 75 के अन्तर्गत अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय में पेश की गई। उक्त न्यायालय ने राजस्व अपील संख्या 283/2022 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 से, अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए, उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 को निरस्त कर दिया तथा उभयपक्षों को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी। अपीलांट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 की पालना करवाने के लिए तहसीलदार शेरगढ से निवेदन किया गया, परन्तु तहसीलदार ने अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त करवाने की सलाह दी है।

अपीलांट्स का यह भी कथन है कि म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी गई तथा न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 1582 दिनांक 27.12.2021, उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्रमांक 303 दिनांक 29.11.2021 की पालना में भरा गया है तथा उक्त आदेश दिनांक 29.11.2021 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 04.11.2024 से अपास्त कर दिया गया है। अतः म्यूटेशन बहाल रखने का कोई औचित्य नहीं हैं। दिनांक 04.11.2024 आदेश के बाद तहसीलदार के निर्देशानुसार दिनांक 22.11.2024 को नामान्तरकरण की नकल लेकर यह अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है जिसे स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या–1582 को अपास्त किया जावें।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत की एकपक्षीय बहस अपील पर दिनांक 25.09.2025 को सुनी गई है।

5. अपीलांण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि शुद्धि करने का आदेश एस.डी.ओ शेरगढ ने जारी किया है, जिसको अपीलांट्स ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में जरिए अपील चैलेंज किया था। अपीलांट्स की अपील स्वीकार की गई तथा एसडीओ के आदेश को विधि विरूद्ध ठहराते हुए अपास्त कर दिया है। अतः एसडीओ के आदेश से दर्ज किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण भी निष्प्रभावी हो गया है तथा अपील न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार को नामान्तरकरण दर्ज करके पूर्व की स्थिति बहाल करनी चाहिए थी, परन्तु तहसीलदार ने नामान्तरकरण दर्ज करने से मना कर दिया है।

अपीलांट न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने पक्षकारों को नियमित वाद के जरिए अपने अनुतोष प्राप्त करने की सलाह दी है। प्रत्यर्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ में नाम शुद्धि का नियमित वाद भी पेश कर दिया है तथा वाद में स्थगन आदेश भी जारी हो गया है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1582 दिनांक 27.12.2021 का खारिज किया जावें।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिजलेख तथा तहसीलदार शेरगढ से प्राप्त नामान्तरकरण पत्रावली का अध्ययन किया तथा उस पर गहनता से मनन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर गहन मंथन किया।

7. (A)प्रकरण से संबंधित भू अभिलेख की स्थिति की जानकारी प्राप्त की, जो इस प्रकार है:–

(i)संवत् 2054–2057 की जमाबंदी में खाता संख्या 180 में ख.नं. 595 व 596–हकीम खॉ, मीरे खॉ, इसे खॉ, जुसब खॉ पि. बरूखॉ, भरीया पुत्र करमाली खॉ, जाति सिपाई।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(ii) संवत् 2058–2061 की जमाबंदी में खाता संख्या 170 में ख.नं. 595 व 596 उपरोक्तानुसार ही दर्ज है।

(iii) संवत् 2062–2065 की जमाबंदी में खाता संख्या 175 में ख.नं. 595 व 596 उपरोक्तानुसार ही दर्ज है।

(iv)संवत् 2066–2069 की जमाबंदी में खाता संख्या 127 में ख.नं. 595 व 596 उपरोक्तानुसार ही दर्ज है।

(v)संवत् 2077–2073 की जमाबंदी के खाता संख्या 136 में ख.नं. 595 व 596 की भूमि पर इस प्रकार इन्द्राज है–

लाधु पत्नी हकीम खॉ, शकुर खॉ, बरकत खॉ, अयुव खॉ पिता–हकीम खॉ, जुसब खॉ पि0 बरूखॉ, लाधु पत्नी मीर खॉ–14 वीघा, इसे खॉ, जुसब खॉ पि. बरू खॉ, भरीया पुत्र करमाली खॉ जाति सिपाई

(vi)संवत् 2074–2077 जमाबंदी–2078(वर्ष–2022) से स्थाई के खाता संख्या 7 व 8 में ख.नं. 595 व 596 की भूमि पर इन्द्राज इस प्रकार है– अकबर खॉ पुत्र लतीफ खॉ, अयूब खॉ पुत्र हकीम खॉ, अल्फा पुत्री लतीफ खॉ, इसे खॉ पुत्र बरू खॉ, करीमा पुत्री मेहरियॉ उर्फ मेहरदीन खॉ, ग्राम पंचायत सोलंकिया तला, छोटूखां पुत्र मेहरियॉ उर्फ मेहरदीन खॉ, जुसब खां पुत्र बरूखॉ, तजियो पुत्री मेहरियां उर्फ मेहरदीन खॉ, नसीरो पुत्री मेहरियॉ उर्फ मेहरदीन खॉ, बरकत खॉ पुत्र हकीम खॉ, बरकत खॉ पुत्र लतीफ खॉ, रेहमत पुत्री लतीफ खॉ, लाधु पत्नी हकीम खॉ, लाधु पत्नी–मीर खॉ, शकुर खॉ पुत्र हकीम खॉ, शोभा पत्नी–लतीफ खॉ, सफीर खां पुत्र मेहरिया उर्फ मेहरदीन खॉ, सुरानी पत्नी मेहरियॉ उर्फ मेहरदीन खॉ, सुलेमान खॉ पुत्र मेहरिया उर्फ मेहरदीन खॉ, साहिल खॉ पुत्र लतीफ खान, हुरमी पत्नी लतीफ खॉ– खातेदार।

(vii)उक्त दोनों खाता संख्या–7 व 8 पर नोट संख्या 4 इस प्रकार अंकित है–

नोट नं. 4 से ख.नं. 595 व 596 सभी काश्तकार पर न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट, मुकदमा नं. /2024 दिनांक 22.11.2024 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) शेरगढ जिला जोधपुर क्रमांक/भू.अ.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

/2024/2987–2989 दिनांक 25.11.2024 के अनुसार स्थगन का नोट लगा हुआ है।

(B)(i)उक्त अभिलेखीय स्थिति के अनुसार, ग्राम सोलंकिया तला की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 136 में इन्द्राज इस प्रकार है:– लाधु पत्नी हकीम खॉ, शकुर खॉ, बरकत खॉ, अयुब खॉ पि0 हकीम खॉ, जुसुब खॉ पि.बरू खॉ, लाधु पत्नी मीर खॉ–14 बीघा, हसे खॉ, जुसव खॉ पि. बरू खॉ, मरीया पुत्र करमाली।

(ii)मरीया पुत्र करमाली का नाम उपलब्ध रिकॉर्ड संवत् 2054–2057 की जमाबंदी अनुसार लगातार दर्ज है।

(iii) (a)सुरानी ने एक प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी को पेश कर कथन किया कि खाता संख्या 136 में मेरे पति का नाम–मरीया पुत्र करमाली दर्ज है, जबकि वास्तविक नाम– मेहरदीन पुत्र मुबारक खॉ है, जो सही है, अतः रिकॉर्ड में सही नाम दर्ज किया जावें।

(b)पटवारी सोलंकिया तला ने रिपोर्ट की कि रिकॉर्ड में इनके पति का नाम भेरीया पुत्र करमाली दर्ज है। इनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मेहरदीन खॉ पि0 मुबारक खॉ दर्ज है। अतः मेरीयां उर्फ मेहरदीन खॉ पुत्र मुबारक खॉ किया जाना उचित है तथा तहसीलदार शेरगढ ने भी पटवारी की रिपोर्ट की पुनरावृति करते हुए सिफारिश कर दी है।

(c)उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने आदेश क्रमांक 303 दिनांक 29.11.2021 कैम्प सोलंकिया तला प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत पटवारी व तहसीलदार शेरगढ की रिपोर्ट के आधार पर ही–भेरिया पुत्र करमाली की जगह मेहरदीन खॉ पि. मुबारक खॉ रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए।

(d)उक्त आदेश की पालना में ग्राम सोलंकिया तला का नामान्तरकरण संख्या 1582 पटवारी द्वारा दर्ज किया गया तथा भेरीया पुत्र करमाली की जगह मेहरिया उर्फ मेहरदीन खॉ पुत्र मुबारक खान के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या–14–16 में तहसीलदार शेरगढ के आदेश क्रमांक–भू.अ./1352 दिनांक 06.12.2021 का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भी संदर्भ किया गया है। इस नामान्तरकरण संख्या 1582 को तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 27.12.2021 को स्वीकृत किया गया है।

(e)उक्त नामान्तरकरण संख्या–1582 दिनांक 27.12.2021 को स्वीकृत होने के बाद ही नामान्तरकरण संख्या–1583 मेहरियां को दिनांक 16.05.2018 को फौत बताकर, ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित वारिशान के नाम दर्ज किया गया है, जिनके नाम पूर्वोक्त दिए विवरण–जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 7 व 8 में प्रदर्शित हो रहे है।

(iv)यहॉ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि पत्रावली पर ग्राम सोलंकिया तला की जमाबंदी सम्वत् 2041–2044 को फोटो प्रति में ख.नं. 595 व 596 की भूमि बरू खां पू. करमाली खॉ, भरियां खॉ पुत्र करमाली खॉ के नाम दर्ज है। इस खाता में नामान्तरकरण संख्या 742 से बरू खॉ के फौत होने पर हकीम खॉ, मीर खॉ, इसे खॉ, जुसब खॉ व बरू खॉ को पूरे खाते का खातेदार दर्ज किया गया है। इसके बाद तहसीलदार शेरगढ के आ. क्रमांक भू.अ./ना.करण/87/212/दिनांक 29.06.87 से नामान्तरकरण संख्या 771 दर्ज किया गया है तथा पूरा खाता इस प्रकार दर्ज किया है– हकीम खॉ, मीरे खॉ, इसे खॉ, जुसब खॉ पि. बरू खॉ एवं मेरिया पुत्र करमाली खॉ–खातेदार।

(v)उपरोक्त विवरण से जाहिर है कि भरिया पुत्र करमाली का नाम संवत् 2041–2044 की जमाबंदी में दर्ज था तथा उसका ना.करण संख्या 742 के अमलदरामद के समय हटाया गया है तथा ना.करण–771 से पुनः दर्ज किया है, यह इन्द्राज तहसीलदार के आदेश से जरिए नामान्तरकरण एक ही चौसाला–जमाबंदी में बदलाव हुआ है। अगर मात्र लिपिकीय त्रुटि होती तो, राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 166 के तहत मात्र फर्द वदर (शुद्धिपत्र) से ही सही किया जा सकता था। नामान्तरकरण संख्या–771 दर्ज करने की आवश्यकता क्यों पडी? यह जांच का विषय है।

(C) प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी ने बिना किसी आधार के आवेदन के पति व पति के पिता, दोनों के नाम गलत होना, बताकर बिल्कुल नया नाम प्रस्तावित किया है जबकि पिछले कई दशकों से रिकॉर्ड में मेरिया पुत्र करमाली दर्ज होता आ रहा है तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तहसीलदार के उपरोक्त आदेश दिनांक–29.06.87 से भी मेरिया पुत्र करमाली खां दर्ज किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र मेहरदीन पुत्र मुबारक के नाम जारी होना पटवारी व तहसीलदार ने बताया है, परन्तु मेरियां पुत्र करमाली खां व मेहरदीन पुत्र मुबारक खां, एक ही व्यक्ति है, इसकी पुष्टि पटवारी व तहसीलदार ने किस आधार पर की है?, इसका कोई प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। उपखण्ड अधिकारी ने धारा 136 एल.आर.ए. एक्ट के तहत शुद्धिकरण का आदेश दिनांक 29.11.2021 को पारित किया है, जिसे माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 283/2022 पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 से अपास्त कर दिया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील/रिविजन का विकल्प पक्षकारों को उपलब्ध है, परन्तु इस न्यायालय के समक्ष अपील रिविजन की स्थिति की कोई जानकारी नहीं है।

(D)अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या–1582 दिनांक 27.12.2021 स्वीकृत किया गया है, उसे माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपील संख्या 283/2022 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 से अपास्त कर दिया है, तो तहसीलदार को ना.करण संख्या 1582 दिनांक 27.12.2021 से पूर्व की स्थिति रिकॉर्ड में जरिए नया नामान्तरकरण दर्ज कर बहाल करनी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता का तर्क उपरी तौर से बहुत आकर्षक लग रहा है, परन्तु कानूनी दृष्टि से इसमें कई बाधाएं है। नामान्तरकरण संख्या 1582 दिनांक 27.12.2021 से भेरिया पु. करमाली की जगह महरिया उर्फ मेहरदीन पुत्र मुबारक दर्ज किया है तथा तुरन्त ही मेहरियां को फौत दिनांक 16.05.2018 को बताकर नामान्तरकरण संख्या 1583 से मेहरियां के वारिशान के नाम आराजी दर्ज कर ली गई। अतः नामान्तरकरण संख्या 1583 से दर्ज इन्द्राजों को भी अपास्त करवाना आवश्यक है तथा यह नामान्तरकरण संख्या–1583 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया है। लेकिन उक्त नामान्तरकरणों को अपास्त करने से पूर्व ही, प्रत्यर्थीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शेरगढ में नियमित वाद दायर कर दिया है तथा उक्त वाद में राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 की धारा–212 के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अन्तर्गत दिनांक 22.11.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित हो चुका है तथा न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार शेरगढ के आदेश दिनांक 25.11.2024 से खाता संख्या 7 व 8 (ख.नं. 595 व 596) पर स्थगन आदेश का नोट लग चुका है तथा यह अपील दिनांक 27.11.2024 को, नियमित वाद दायर करने के बाद व स्टे ऑर्डर के बाद पेश की गई है।

(E) विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रकार की फिस्कल प्रोसिंडिंग है, जिसके माध्यम से पक्षकारों के साम्पतिक अधिकारों, हकों, स्वत्वों, आधिपत्य इत्यादि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णय, केवल नियमित वाद से सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, उक्त सर्वमान्य विधिक सिद्धान्त के तहत ही माननीय न्यायालय, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपीलांट द्वारा दायर अपील संख्या 283/2022 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 में पक्षकारों को अपने अधिकारों का न्याय निर्णयन नियमित वाद से सक्षम न्यायालय से करवाने की सलाह दी है, जिसकी पालना में प्रत्यर्थीगण ने राजस्व वाद, न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शेरगढ में दायर कर दिया है, जिसकी पुष्टि अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापति ने दौरानें बहस की है तथा यह तथ्य आक्षेपित खसरों की चालू जमाबंदी के खाता संख्या–7 व 8 पर अंकित नोट से भी होता है। जब तक उक्त राजस्व वाद में पारित स्थगन आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जाता है, तब तक नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं हो सकती, संभवतः इसी कारण से तहसीलदार ने संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय की पालना में नया नामान्तरकरण दर्ज करने से मना किया होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नामान्तरकरण की प्रकिया ऑनलाईन संपादित की जा रही है, अपीलांट्स ऑनलाईन भी दर्ज करा सकता था। इसके अतिरिक्त, अपीलांट्स ने ऑफलाईन भी नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु की गई कार्यवाही का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(F)निम्न न्यायिक विनिश्चयों में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय ने नामान्तरकरणों का सीमित उद्धेश्य निर्धारित किया है तथा यह प्रतिपादित किया है कि नामान्तरकरण एकमात्र फिस्कल प्रोसिंडिंग है–

1. Faqruddin VS Tejuddin, Supreme Court- 16.05.2008, (2008)8 SCC 12
2. Prem Nath Khanna & Ors. VS Narinder Nath Kapoor (dead) through LRs-(2016)12 SCC 235
3. Bhima Bal Mahadev Kambaker (dead) through LRs VS Arthur Import and Export Co. & Ors. (2019)3 SCC 191- Dated 31-01-2019
4. Sawarni VS Inder Kaur - 23.08.1996- (1996)3 SCC 223
5. Balwant Singh VS Daulat Singh-(1997)7 SCC 137
6. Narasamma VS State of Karnataka-(2009)5 SCC 591
7. Suraj Bhan and ors. VS Financial Commissioner- (2007)6 SCC 186
8. Jattu Ram VS Hakam Singh
9. Narayan Prasad Agarwal VS State of MP- (2007)8 Scale 250
10. Hetram VS Financial Commissioner (Appeal) & Ors. - CWP No. 5751/2010-D/d 13.10.2023-(H.P. High court, Shimla)

8. उपरोक्तानुसार अभिलेखीय तथा विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किए गए विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में अन्तर्वलित विवाद, बहुत ही गंभीर प्रकृति का है, तथा पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा, नियमित वाद में समुचित साक्ष्य लेकर सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में प्रकरण के गंभीर विवादास्पद तथ्यों की जांच करना कतई संभव नहीं है। सक्षम न्यायालय में विवाद की विषयवस्तु बाबत नियमित वाद विचाराधीन है। नियमित वाद में पारित अंतिम निर्णय/डिक्री की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकेगा तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण को जरिए अपील अपास्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपील संख्या 283/2022 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 से उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 को अपास्त कर दिया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतः आधार आदेश के अपास्त होने से पश्चात्वर्ती पारित समस्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाते है।

तहसीलदार शेरगढ को निर्देश दिये जाते है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 283/2022 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 को अगर अपील/रिविजन में अपास्त परिवर्तित नहीं किया गया/जाता है तथा सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शेरगढ के न्यायालय में उक्त आराजी से संबंधित लंबित वाद में अंतिम रूप से पारित निर्णय/डिक्री की पालना में नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करें। संवत् 2041–44 में यह भूमि बरू खॉ, भरिया पुत्र करमाली के नाम दर्ज है। अपीलांट्स बरू खॉ के वारिशान है तथा प्रत्यर्थीगण भरिया के वारिशान होना बता रहे है। इसी प्रकार अपीलांट्स के हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है। इसी प्रकार मेहरदीन पुत्र मुबारक खॉ की अन्यत्र भी भूमियां हो सकती है, उस संदर्भ में जांच की जावें तथा एसडीओ कोर्ट में विचाराधीन वाद में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर पैरवी की जाना सुनिश्चित करें। क्या वास्तव में भरिया व मेहरदीन एक ही व्यक्ति है?

9. उपर्युक्त विवेचनानुसार इस अपील का एतद् द्वारा निस्तारण किया जाता है।
10. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार शेरगढ को लौटाया जावें।
11. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी) 26/09/25
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 26/09/25
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर